



6011

दूરગाप - 2286700
2286710

नव. ताला केन्द्र 10 ब्रह्मोक मार्ग, लાયનક. 226001

રાજ્ય નગરીય વિકાસ અભિકરણ, ઉ.પ્ર.

પત્રાંક : ૫૧૧૩ /૦૫/૭૬ /એક /૨૦૧૫-૧૬
સેવા મેં

દિનાંક : ૩ / માર્ચ 2016

જિલ્લાધિકારી/અધ્યક્ષ,
જિલ્લા નગરીય વિકાસ અભિકરણ
જનપદ-ઇલાહાબાદ।

વિષય : વિત્તીય વર્ષ 2015-16 મેં સૂડા દ્વારા આપકે જનપદ (હુડા) કો અલ્યસંખ્યક બાહુલ્ય વરિતયો તથા મળિન વરિતયો મેં ર્થીકૃત પરિયોજનાઓની ઘનરાશિ કા પ્રેષણ।

મહોદય,

અભિકરણ દ્વારા વિત્તીય વર્ષ 2015-16 મેં આપકે જનપદ કો શહેરી ક્ષેત્રોની અલ્યસંખ્યક બાહુલ્ય વરિતયો તથા મળિન વરિતયો મેં ઇન્ટરલાકિંગ, નાલી નિર્માણ વ અન્ય સામાન્ય સુવિધાઓની સ્થાપના યોજના હેતુ (અનુદાન સંખ્યા-37/83) મેં ગિર્નાલેખિત વિદર્ણ કે અનુસાર ઘનરાશિ અવમુક્ત કી જા રહી હૈ-

ઘનરાશિ કા પ્રેષણ (લાખ રૂ. મે)			
બેંક કા નામ	ખાતા સંખ્યા	આઈએફએસસી કોડ	ઘનરાશિ
યૂનિયન બેંક આફ ઇન્ડિયા	394302010992508	IFSC Code UBIN0539431	(ઘનરાશિ લાખ રૂ. ૮૦ મે) 79 184

ક્રમાંક	જનપદ કા નામ	અલ્યસંખ્યક/મળિન	નિકાય કા નામ	દસ્તી/વાર્ડ કા નામ	દ્વિતીય કિશ્ટ કી ઘનરાશિ કા પ્રેષણ
1	ઇલાહાબાદ	અલ્યસંખ્યક-37 બજટ	ન૦૧૦ લાલગોપાલગંજ	વાર્ડ નં ૩૩ કરવલા (ફેજ ૦૧) મેં નંદ કુમાર કે ઘર સે રામ પ્રસાદ કે ઘર હોતે હુએ રામ દુલાર કે ઘર તથા ચન્દ્રપાલ કે ઘર સે કેઠબન કે ઘર હોતે હુએ રાજા રમ વર્મા કે ઘર તથા, મીરજા રિંહ કે ઘર સે મકખન કંગોંગિયા કે ઘર તથા એવં અશોક આર્યા કે ઘર સે કુઝા તથા ઇન્ટરલાકિંગ સાડક એવં નાલી નિર્માણ કાર્ય।	17.184
2	ઇલાહાબાદ	અલ્યસંખ્યક-37 બજટ	ન૦૧૦ લાલગોપાલગંજ	વાર્ડ નં ૩૩ કરવલા (ફેજ ૦૨) મેં ગારીબ દાસ કે ઘર સે મુસાફિર કે ઘર તથા, કલ્લું કે ઘર સે જગતસમ કે ઘર તથા, મૂલ કંદ્ર કે ઘર સે લાલજી કે ઘર હોતે હુએ રોનકર કે ઘર તથા, રામકંદ્ર કે ઘર સે લદ્ધી કંદ્ર કે ઘર તથા, ધની ભગત કે ઘર સે હરિશકન્દ્ર કે ઘર તથા, શ્રી ધવન કે ઘર ૪૭૭/૩૮૦/૧ એ સે અજય કુમાર કે ઘર તથા એવં શ્રીમતી સીમા રોનકર કે ઘર સે પણા લાલ કે ઘર તથા ઇન્ટરલાકિંગ સાડક એવં નાલી નિર્માણ કાર્ય।	17.135
3	ઇલાહાબાદ	અલ્યસંખ્યક-37 બજટ	ન૦૧૦ લાલગોપાલગંજ	વાર્ડ નં ૩૩ કરવલા (ફેજ ૦૩) મેં ગોહન (ફિનાન્સ) કે ઘર સે ધોર્દી કે ઘર તથા, જગન્નાથ કે ઘર સે મેરણા શંકર કે ઘર તથા એવં વિશાળતાલ કે ઘર સે સુરશ કે ઘર તથા ઇન્ટરલાકિંગ રાડક એવં નાલી નિર્માણ કાર્ય।	12.852
4	ઇલાહાબાદ	અલ્યસંખ્યક-37 બજટ	ન૦૧૦ લાલગોપાલગંજ	વાર્ડ નં ૩૩ કરવલા (ફેજ ૦૪) મેં દવન્તી દેવી શ્રીવારતવ કે ઘર વ જો૦૧૦ રિંહ કે ઘર સે ગોદમાદ અહમદ કે ઘર, જો૦૧૦ રિંહ કે ઘર સે ગગા મારટર કે ઘર હોતે હુએ સુકુલાલ કે ઘર તથા, અંજીજ સ્થાન સે જિસાન કર્ણીનિક વ વિકન સે ફૂલકલી કે ઘર તથા એવં ફાટિગા કે ઘર સે વેનીગંજ વાર્ડર તથા ઇન્ટરલાકિંગ રાડક એવં નાલી નિર્માણ કાર્ય।	16.235



601/2

दूरમाल 2286709
2286710

नव द्वारा कन्द्र 10 प्रशाक सामै लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रो सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
5	इलाहाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0 लालगोपालगंज	वार्ड नं0-33 करवला (फैज-06) में वैष्णवी भवन उमाकांत द्विदेवी के घर से म0-नं0 241/7डी श्री अमृतराज वौररोया के घर तक श्री एस0के0 लहरी के घर से अजीज खान के घर होते हुए राजीव अग्रवाल के परतक, जी0टी0 रोड तिराहे से करवला मरिजद तक इण्टरलाकिंग साइक एवं नाली निर्माण कार्य।	15.778
	धोम				79.184

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में री0टी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना-न्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

- 1— उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में री0टी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— रसानीय रत्त पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और रूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रत्यावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम रत्त से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना-न्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तकाल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— रसानीय रत्त पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/रसानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिता के सुरागत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य राम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही रसानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजना-न्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवश्य के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निर्दित मद में व्यय की जायेगी। एवं स्वीकृत परियोजना-न्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि रो ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व रसानीय कर्त्ता की स्त्रोत पर कठोरी सम्बन्धी अनेवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



601/3

पुस्तक 2206703
2206710

नव गोपनी केन्द्र 10 अशोक मार्ग, लहरीडा, 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के राष्ट्रक द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमत्य सेटेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के राष्ट्रक नियमानुसार गुणवत्ताप्रकार कार्य सम्पादित करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के साथ गौपिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, रूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—रूडा।।
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—रूडा।।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक